

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]  
 भारत सरकार  
 वित्त मंत्रालय  
 (राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं०. 8/2019-एकीकृत कर (दर)**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा.का.नि.....(अ) .- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, संख्या सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं०. 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III-18% में, कॉलम (1) में क्रम संख्या 452P और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	कोई अध्याय	<p>आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर सा.का.नि.सं. __, दिनांक 29 मार्च, 2019 अधिसूचना सं०. 7/2019- एकीकृत कर दर, दिनांक 29 मार्च, 2019 में यथा निर्धारित, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा 4 के अंतर्गत माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो</p> <p>स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य से-</p> <p>(i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।</p> <p>(ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है</p>

	<p>(iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यद्) में दिया गया हो।</p> <p>(iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभीप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।</p> <p>(v) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं।</p>
--	---

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

[फा. सं०.354/32/2019 -टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सं०. 1/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 संख्या सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई और संख्या सा.का.नि. 1264(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं०. 25/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।